आनलाईन शिक्षा / शिक्षा में तकनीकि का प्रयोग के सम्बंध में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा, डॉ. मोनिका मल्होत्रा, डॉ. शशि देवी,
प्रो. पूनम टंडन, प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा, प्रो0. वीर पाल सिंह

- प्रश्न-1. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच कोई संपर्क न होने के कारण व्यक्तिगत लगाव नहीं होता।
- उत्तर-1. शिक्षक और छात्र के बीच संबंध छात्रों की सीखने की प्रक्रिया पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से शिक्षक हमेशा अपने छात्रों के संपर्क में रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भी बहुत से छात्र विभिन्न कारणों से कॉलेज नहीं आते हैं और से परीक्षा के समय ही आते हैं। इसलिए शिक्षकों एवं छात्रों के बीच संपर्क उनकी व्यक्तिगत सोच पर निर्भर है न कि माध्यम पर, छात्र अपने शिक्षक से ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

- प्रश्न-2. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच आंख में आंख (Eye-to-eye) संपर्क नहीं होता है।
- उत्तर-2. आज के समय ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षक अपने छात्रों को तथा छात्र अपने शिक्षक एवं साथियों को देख सकते हैं। शर्त यह है कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान किसी का भी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षक छात्रों को आंख में आंख डालकर देख सकते हैं तथा उन्हें निर्देशित भी कर सकते हैं।

- प्रश्न-3. भविष्य में शिक्षकों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।
- उत्तर-3. शिक्षकों की आवश्यकता कभी खत्म नहीं हो सकती। बिना शिक्षक के शिक्षा संभव ही नहीं है, सिर्फ अध्ययन/अध्यापन के तरीकों में बदलाव होगा।

- प्रश्न-4. पुस्तकों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।
- उत्तर-4. पुस्तकों की आवश्यकता भी जारी रहेगी सिर्फ उनका रूप बदलेगा। प्रिंटेड पुस्तकों के स्थान पर डिजिटल ई-बुक का प्रयोग बढ़ेगा। और यह पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत आवश्यक भी है क्योंकि पेपर का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा में ही होता है और हम सभी जानते हैं कि पेपर को बनाने में पेड़ और पानी का बहुत उपयोग होता है।

- प्रश्न-5. ऑनलाइन परीक्षा में आसानी से नकल हो सकती है।
- उत्तर-5. नकल एक मानसिकता है, नकल आज भी होती है और भविष्य में भी होगी। इसे ऑनलाइन परीक्षा में बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इसमें कमी लाई जा सकती है।

- प्रश्न-6. ऑनलाइन परीक्षा की सुरक्षा एवं सुचिता एक बड़ी समस्या है।
- उत्तर-6. किसी भी परीक्षा की सुचिता परीक्षा के नियंत्रण कर्ताओं पर निर्भर करती है। कई बार इसका उल्लंघन परीक्षा की पारंपरिक प्रणाली (प्रश्न पत्र की लीक, कॉपी बदलने आदि) में भी होता है, जिसे पहचाना एवं पकड़ना बहुत थी दुष्कर कार्य होता है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा यह कार्य किया गया है। इसीलिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पारदर्शी एवं अधिक प्रमाणिक होती है।

- प्रश्न-7. अधिकांश शिक्षक तकनीकी के प्रयोग में प्रशिक्षित नहीं हैं विशेषकर भाषा एवं मानविकी के शिक्षक।
- उत्तर-7. मुख्यतः यह एक मानसिकता है, ना कि एक समस्या। आज अधिकांश उच्च शिक्षा के शिक्षकों के पास स्मार्टफोन है जिसका प्रयोग वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन ट्रेन एवं टैक्सी बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आदि इसी तरह यदि शिक्षक चाहेंगे तो आनलाईन शिक्षण आरम्भ कर सकते हैं। विशेषज्ञता के लिये प्रशिक्षण कार्य कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

- प्रश्न-8. शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है।
- उत्तर-8. शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी परंतु यह सबसे ज्यादा शिक्षक की मानसिकता पर निर्भर करेगा।

- प्रश्न-9. अधिकांश छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, तो ऑनलाइन शिक्षा कैसे आरंभ हो सकती है?
- उत्तर-9. छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस में होना एक समस्या है, परंतु जिन छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस उपलब्ध है उनके लिए तो शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा आरंभ कर ही सकते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के सभी स्टेकहोल्डर को मिलकर निर्धन छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के रास्ते तैयार करने होंगे।

- प्रश्न-10. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता एवं कनेक्टिविटी नहीं होती, जिस कारण ऑनलाइन शिक्षण संभव नहीं है।
- उत्तर-10. इंटरनेट की उपलब्धता एवं कनेक्टिविटी की समस्या के लिए हम हैं ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन ई-कंटेंट भी छात्रों को उपलब्ध कराने होंगे जिससे वे इंटरनेट ना होने पर उनका प्रयोग कर सकें ।
- प्रश्न-11. विद्यार्थियों की नजर (eyesight) कमजोर होती है।
- उत्तर-11. स्क्रीन का ज्यादा उपयोग करने पर आंखों में ड्राइनेस आती है इसलिए आई-ड्रॉप आंखों में डालनी चाहिए, नजर कमजोर होने का सीधा संबंध कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के प्रयोग से नहीं है। यदि नजर कमजोर होने का मुख्य कारण स्क्रीन का उपयोग है तो 20 साल पहले जब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल नहीं थे, तब भी लोगों की नजर कमजोर होती थी। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ज्यादा उपयोग करने से आंखों पर इसका प्रभाव पड़ता है परंतु नजर कमजोर होने का केवल यही कारण नहीं है।

- प्रश्न-12. विद्यार्थियों का मानसिक तनाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती है।
- उत्तर-12. किसी भी चीज का हद से ज्यादा प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। उसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है, जैसे मानसिक तनाव, कमर दर्द पीठ दर्द आदि। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के प्रयोग से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं , जिनको अपनाकर इन को कम किया जा सकता है।

- प्रश्न-13. विद्यार्थियों का एकाकीपन बढ़ता है।
- उत्तर-13. आज के समय छात्र आपस में एवं शिक्षकों के साथ ऑनलाइन जुड़कर, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस तरह एकाकीपन की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- प्रश्न-14. खेलकूद/ शारीरिक गतिविधियों में विद्यार्थियों रूचि कम हो रही है।
- उत्तर-14. संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए खेलकूद/ शारीरिक गतिविधियों मैं प्रतिभाग आवश्यक है। कंप्यूटर आधारित खेलकूद गतिविधियों में प्रतिभाग करने से मानसिक विकास तो होता है, परन्तु शरीरिक विकास के लिये मैदानिक गतिविधीयॉ आवश्यक है ।

मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियां (Assessment and Assessment Methods)

डॉ॰ दिनेश चंद्र शर्मा, प्रो॰पूनम टंडन, डॉ॰ राजन शरण शाही

प्रो॰ अवधेश कुमार तिवारी, प्रो॰ अनुराधा तिवारी, प्रो॰ वंदना शर्मा, डॉ॰ अंशु यादव,

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question)

- प्रश्न-1.मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ?

  उत्तर-1. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए समयबद्ध मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे तथा हमारे शिक्षण संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें।

- प्रश्न-2.मूल्यांकन किसका होना चाहिए ?

  उत्तर-2. शिक्षण संस्था, शिक्षक एवं विद्यार्थियों का मूल्यांकन आवश्यक है।

- प्रश्न-3. अध्ययन-अध्यापन के संबंध में मूल्यांकन के कितने स्तर होते हैं ?

  उत्तर-3. अध्ययन-अध्यापन के संबंध में सामान्यत त्रिस्तरीय (संस्थान, शिक्षक एवं छात्र) मूल्यांकन होता है।

- प्रश्न-4. क्या NAAC के अतिरिक्त कोई और एजेंसी महाविद्यालय का मूल्यांकन कर सकती है ?

  उत्तर-4. वर्तमान में शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए NAAC ही एक अधिकृत एजेंसी है, नई शिक्षा नीति में अन्य एजेंसी बनाने की बात कही गई है

- प्रश्न-5. शिक्षकों के मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा ?

  उत्तर-5. शिक्षकों का मूल्यांकन उनके कार्य के आधार पर किया जाएगा, जिसमें भूतपूर्व छात्र, वर्तमान छात्र एवं उनके अभिभावक प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

- प्रश्न-6. क्या शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए कोई फॉर्म बनाया जा रहा है ?

  उत्तर-6. हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए एक फॉर्म बनाया जा रहा है।

- प्रश्न-7. कॉलेजों को विश्वविद्यालय द्वारा शोध केंद्र नहीं बनाया जाता, ऐसे में शिक्षकों के मूल्यांकन में शोध को शामिल किया जाना क्या उचित है ?

  उत्तर-7. शोध का तात्पर्य सिर्फ पीएचडी कराना ही नहीं होता, तमाम केंद्रीय एजेंसियां कॉलेज के शिक्षकों को शोध कार्य करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराती हैं, जिसके आधार पर बहुत से शिक्षक, महाविद्यालय शोध केंद्र ना होते हुए भी शोध कार्य में संलग्न है। इसीलिए शोध को बढ़ावा देने के लिए इसे शिक्षकों के मूल्यांकन में जुड़ा जाता है।

- प्रश्न-8. छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन का क्या मतलब है, और यह कैसे किया जा सकता है ?

उत्तर-8. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष जोड़ दिया गया है, आंतरिक मूल्यांकन में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न कार्य कराए जाएं जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पज़ल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेंट (Student parliament), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबंध (Essay), एक्सपेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि कार्यों को सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है

- प्रश्न-9. छात्रों के मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ऐसे कैसे किया जाएगा ?

  उत्तर-9.छात्रों का आत्मबल बढ़ाने के लिए उन्हें स्व-मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, यह स्व-मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से स्व निर्देशात्मक सामग्री (Auto instructional material) के अंतर्गत होगा तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, जिससे छात्र को भी अपना सही स्तर पता लग सकेगा, उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र कोई ई-कंटेंट ऑनलाइन सामग्री पड़ता है तो उसके बाद उसे संबंधित ई-कंटेंट के चार या पांच प्रश्नों का उत्तर देना होगा तभी वह अगला ई-कंटेंट अथवा चैप्टर पढ़ सकेगा, इसे पूर्व ज्ञान (prerequisite knowledge) की तरह भी देखा जा सकता है।

- प्रश्न-10. NAAC मूल्यांकन एवं NIRF रैंकिंग में क्या अंतर है ?

  उत्तर-10. NAAC मूल्यांकन संस्था के स्तर किया जाता है तथा इसमें किसी अन्य संस्थाओं से तुलना नहीं की जाती है। NIRF रैंकिंग में संस्थानों की तुलना की जाती है तथा प्रतिवर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों की सूची जारी की जाती है।

- प्रश्न-11. NIRF रैंकिंग शुल्क (Fee) कितनी होती है ?

  उत्तर-11. NIRF रैंकिंग निशुल्क होता है।

- प्रश्न-12. ARIIA रैंकिंग क्या है ?

  उत्तर-12. ARIIA रैंकिंग का अर्थ Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA) रैंकिंग है। यह रैंकिंग संस्थानों में होने वाले नवाचार एवं शोध के आधार पर प्रतिवर्ष की जाती है।

- प्रश्न-13. ARIIA रैंकिंग शुल्क (Fee) कितनी होती है ?

  उत्तर-13. ARIIA रैंकिंग निशुल्क होता है।

- प्रश्न-14. क्या कॉलेजों का अंतरराष्ट्रीय QS (Quacquarelli Symonds) मूल्यांकन कराया जा सकता है ?

  उत्तर-14. नहीं, QS (Quacquarelli Symonds) सिर्फ विश्वविद्यालय का ही मूल्यांकन करती है महाविद्यालय का नहीं।

- प्रश्न-15. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन क्यों होना चाहिए ?

उत्तर-15. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychological Assessment)- वर्तमान समय को देखते हुए छात्रों का समय-समय पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है इसके लिए संस्था के मनोवैज्ञानिक विभाग की मदद ली जा सकती है अथवा उपलब्ध ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तरीकों को भी अपनाया जा सकता है। प्रतिमाह संस्था में एक मनोवैज्ञानिक को बुलाकर इच्छुक छात्रों को उससे अपनी समस्याओं की चर्चा का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा में छात्रों की सलाह और कैरियर परामर्श

FAQs

1. **मेन्टरिंग को कैसे परिभाषित करें ?**
   मेंटरिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें मेंटर एक प्रशिक्षक और सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करता है ताकि मेंटी के निजी और व्यावसायिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सलाह प्रदान की जा सके और व्यावसायिक विकास के साथ–साथ सामान्य कार्य–जीवन में संतुलन में मदद मिल सके।
2. **चौतरफा मेन्टरिंग क्या है ?**

मेन्टर	मेन्टी
1–उच्च गुणवत्ता से मूल्यांकित शिक्षण संस्थान।	1–अमूल्यांकित शिक्षण संस्थान।
2–संस्थान का 'नेतृत्व'	2–संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी।
3–संकाय सदस्य	3–विद्यार्थी।
4–सीनियर विद्यार्थी	4–जूनियर विद्यार्थी

3. **उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेन्टरिंग क्यों आवश्यक है ?**
   मेन्टरिंग छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा, बदले हुए वातावरण में मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करेगा, और छात्रों को भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्म विश्वास जगायेगा।

4. **छात्रों के लिए मेंटरिंग कैसे सहायक है?**

   छात्रों के लिए मेंटरिंग दो तरह से सहायक है:

- मेंटरिंग छात्रों को उच्च शिक्षा में विभिन्न विषयों में महारत हासिल करने में, कठिनाइयों को दूर करने में, असफलता दर को कम करने और ड्रॉप आउट दरों को कम करने में मदद कर सकता है।
- पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और अपने विषय में आत्म–विश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण, मूल्यों, और कौशल को बेहतर बनाने के लिए मेंटी को व्यक्तिगत दिशा मिलेगी ।

5. **काउंसिलिंग / मेंटरिंग कितने प्रकार की हो सकती है?**

   काउंसिलिंग / मेंटरिंग विभिन्न प्रकार की हो सकती है:

- **एक–से–एक मेंटरिंग**: सलाह देने की प्रक्रिया में एक मेंटर और एक मेंटी होता है।

- **ग्रुप / टीम मेंटरिंगः** इस प्रक्रिया में एक से अधिक मेंटी और एक मेंटर या एक से अधिक मेंटर और एक मेंटी होता है।
- **पीयर मेंटरिंगः** मेंटर और मेंटी दोनों ही छात्र हैं।
- **ईमेंटरिंगः** जब मेंटरिंग को वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के माध्यम से विकसित और प्रबंधित किया जाता है, तो इसे सोशल मीडिया, मोबाइल मैसेजिंग और वर्चुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से ई–मेंटरिंग के रूप में मान्यता दी जाती है।

6. विद्यार्थी द्वाराविद्यार्थी की मेन्टरिंग का क्या महत्व है ?

एक ही उम्र का होने के कारण वे एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे और एक दूसरे का विश्वास जीत सकेंगे। इससे मेन्टर विद्यार्थी और मेन्टी विद्यार्थी दोनों लाभान्वित होंगे। मेन्टर विद्यार्थी में नेतृत्व क्षमता, आत्म विश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, समय प्रबन्धन, दूसरे को क्षमता वान बनाने का कौषल आदि विकसित होता है। दूसरी ओर मेन्टर विद्यार्थी से इन गुणों को मेन्टी विद्यार्थी अधिक अनौपचारिक हो कर सीखता है।क्योंकि उन दोनों के एक जैसे विचार, एक जैसी जिज्ञासा और एक जैसी चुनौतियाँ हैं।

7. मेन्टर के लिये क्या चुनौतियाँ हैं?

मेन्टर के लिये निम्नलिखित चुनौतियाँ होती हैं–

1–बिल्कुल अनजान व्यक्ति/संस्था का विश्वास जीत कर उसकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना।

2–विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना जिससे वह अपने विचार शेयर कर सके। मेन्टर को यह भी देखना पड़ता है कि मेन्टी उत्तेजित या नर्वस न हो।

3–मेन्टी से फीडबैक भी लेना बहुत बड़ी चुनौती है।

8. महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कौन से प्रकोष्ठ वर्तमान में परामर्ष का कार्यकर रहे है ?

1–स्टूडेन्ट मेन्टरिंग सेल

2–स्ट्रेस रिलीफ सेल।

3–वुमेन ग्रीवेन्स सेल।

4–स्टूडेन्ट वेलफेयर कमेटी।

5–पूवर स्टूडेन्ट हेल्प कमेटी।

6–इंप्लॉयमेन्ट एण्ड कॅरियर काउंसलिंग कमेटी।

7–लीगल ऐड कमेटी।

8– एण्टी रैंगिंग कमेटी।

इन सभी प्रकोष्ठों को समन्वयस्थापित कर क्एकल दिशा में काउंसलिंग का कार्य करना होगा।

9. छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम, छात्रों और शिक्षकों के मध्य संबंध स्थापित करने मेंकैसे मदद कर सकता है ?

ओरिएंटेशन कार्यक्रमों से छात्रों को अपने विश्वविद्यालय / कॉलेज के सामाजिक वातावरण के बारे में पता चलता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात व्याख्याताओं और विशेषज्ञों का नए छात्रों से परिचय, उन्हें अकादमिक और व्यावसायिक जीवन के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकता है। कैम्पस परिसर में भ्रमण से वे कैंपस में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं से अवगत हो सकते हैं ताकि वे खुद को खोए हुए न पाएं। एक संरचित ओरिएंटेशन मॉडल छात्रों, संकाय सदस्यों, प्रशासन, माता–पिता और वर्तमान छात्रों सहित सभी प्रतिभागियों की सहायता कर सकता है।

10.संकाय सदस्य द्वारा विधार्थियों की मेन्टरिंग करने के लिये क्या उपाय अपनाने होंगे ?

संकाय सदस्य द्वारा विधार्थियों की मेन्टरिंग करने के लिये निम्नलिखित टूल्स अपनाने होंगे–

1–**निरीक्षण–** संकाय सदस्यों को प्रभावी, संवेदनषील और चौकन्ना रहना होगा।उन्हें अपने विधार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करना होगा।

2–**आत्म सम्मान उत्पन्न करना**– संकाय सदस्यों को चाहिये कि विधार्थियों में अपने कार्य, परिवार और समाज को ले कर हीन भावना न आने दें। इसके लिये उन्हें समय–समय पर महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा दे कर उन्हें नित्य प्रेरित और प्रोत्साहित करना होगा।

3–**लचीलापन**–विधार्थियों की रूचि के अनुसार अपने टीचिंग और मेन्टरिंग में सुधार करते रहें।

4–**अच्छाबर्ताव**–विधार्थियों को अपमानित न करें उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। विधार्थियों को उनकी क्षमतानुसार उत्तरदायित्व भी दें।

5–**प्रोत्साहन**–समय–समय पर संकाय सदस्य विधार्थियों को यह बताते रहे कि वे संस्था और समाज तथा देश के लिये बहुत कीमती हैं। उनके अन्दर अतिषय सम्भावनायें हैं।

6–**अध्यापन में विविधता**– लिखने पढ़ने के अतिरिक्त शैक्षिक भ्रमण सामुदायिक कार्यों में विधार्थियों को लगाना, स्वच्छता, पौधारोपण, रक्तदान, महामारी से बचाव हेतु जागरूकता, खेलकूद, वार्षिकोत्सव, विभागीय कार्यक्रम आदि करवा कर परिसर को जीवन्त बनाये रखे।

7–**भाषा–**मातृभाषा में शिक्षा दें जिससे विद्यार्थी अपनी संस्कृति एवं संस्कार से जुड़ा रहे।

8–**सामाजिक बुराईयों का विरोध**– रूढ़िवादिता एवं अन्धविश्वास के प्रतिविरोध की भावना जगायें तथा उन्हें समाज को जागरूक करने के लिये प्रेरित करें।

9–**विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा–**संकाय सदस्यों को चाहिये कि वो विद्यार्थी को कक्षा में बोलने का अवसर दें ।

10**–योग कार्यक्रम–** यह माना जाता है कि हर कार्यक्रम में योग कार्यक्रम को शामिल करने से छात्रों को अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में सुविधा होगी। छात्रों को अक्सर दबाव और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जो आगे चलकर कुछ मामलों में चिंता, अवसाद और यहां तक कि आत्महत्या तक की प्रवृत्ति को जन्म देती है। योग के साथ, छात्र तनाव प्रबंधन और आंतरिक शांति के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुशलता से काम करना सीखेंगे।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा का वर्धन

FAQs

1. **कौशल विकास एवं रोज़गार परक शिक्षा को कैसे परिभाषित करें ?**

   छात्रों में तकनीकी ज्ञान एवं रोज़गार कौशल तथा स्वदेशी श्रमिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास जिसमे अंतरव्यक्तिक संबंधों में व्यव्हार कुशलता एवं टीम वर्क, संवाद एवं समस्या समाधान कौशल, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक एवं विचारात्मक निपुणता, स्व–प्रोत्साहन, नम्रता एवं अनुकूलनशीलता, जोखिम उठाने एवं आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता प्रमुख हैं, को कौशल विकास एवं रोज़गार परक शिक्षा कहा जायेगा।

2. **वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है ?**

   रोज़गार हेतु अपेक्षित कौशल और आबादी के पास उपलब्ध कौशल के बीच एक बड़ा अंतर बन गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बेहतर जीवन और आजीविका के लिए मानव क्षमता को अनलॉक करने में मदद नहीं करती है।

3. **भारत में कितने कार्यबल के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध है?**

   भारत में केवल 2.3% कार्यबल के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है जबकि जर्मनी में 80% औपचारिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध है। 2022 तक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 54% कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पुनः एवं अपस्किलिंग की आवश्यकता होगी।

4. **वर्तमान में, 8वीं या 10वीं के उपरांत उपलब्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण में क्या समस्या है?**

   वर्तमान में, व्यावसायिक प्रशिक्षण/ शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों द्वारा कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वालों के लिए कैरियर मार्ग के रूप में देखा जाता है। इस धारणा को बदलने की जरूरत है।

5. **एनईपी 2020 में व्यावसायिक प्रशिक्षण/शिक्षा के किन आयामों की चर्चा की गयी है?**

   - पाठ्यक्रम में 'वैज्ञानिक,' व्यावसायिक ',' पेशेवर 'और 'सॉफ्ट कौशल' जैसे क्षेत्रों का संयोजन।
   - अनुसंधान के साथ डिग्री का प्रावधान
   - स्थानीय उद्योग, व्यवसायों, कलाकारों, शिल्पकारों, आदि के साथ या अपने स्वयं के या अन्य HEI / शोध संस्थानों के साथ इंटर्नशिप

6. वर्तमान समय में किस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम लोकप्रिय हैं?

सॉफ्टवेयर विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया, खाद्य प्रसंस्करण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा, मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से भवन, निर्माण और रियल एस्टेट, संगठित खुदरा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा शिक्षा, कपड़ा, पर्यटन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (NSDC आधारित) क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकताएं मौजूद हैं।

7. जीवन कौशल–आधारित शिक्षा क्या है?

निम्नलिखित प्रकार के कौशल जीवन कौशल में सम्मिलित हैं :

संज्ञानात्मक कौशल– जैसे सूचना का प्रबंधन, समस्या को हल करना, कौशल का नियोजन और आयोजन करना, कौशल सीखना, नवीन और रचनात्मक सोच और चिंतनशील कौशल।

लोगों से संबंधित कौशल– जैसे संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, प्रभावित करने वाले कौशल, बातचीत कौशल, टीम कार्य कौशल, समय प्रबंधन, ग्राहक सेवा कौशल, प्रेरणा और नेतृत्व कौशल।

व्यवसाय की दुनिया से संबंधित कौशल– रचनात्मकता और नवाचार कौशल, उद्यमशीलता कौशल, वाणिज्यिक और व्यावसायिक पर्यावरण जागरूकता।

नैतिक कौशल – नैतिकता और मूल्य आधारित शिक्षा और भारतीय लोकाचार से परिचित होना

8. उद्योग अकादमी इंटरफ़ेस (Industry& academia interface) क्यों आवश्यक है?

उद्योग छात्रों के कौशल विकास में आवश्यकता के अनुसार क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे पाठ्यक्रम संशोधन, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, उद्यमिता विकास एवं सार्थक शोध में सहभागिता करके शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं।

9. छोटे एवं लघु उद्योगों को कैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ा जा सकता है?

MSMEs और स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप को पाठ्यक्रम में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए । MSMEs के साथ समझौता किया जा सकता है, जो अनुभवात्मक और hands वद learning के द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ा पाएंगे। साथ ही HEIs उनको कार्य विशेष में उचित सलाह देकर उनकी गुणवत्ता में योगदान दे सकते हैं।

10. स्व–रोजगार और उद्यमिता विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाये?

- उद्यमिता और आईपीआर में पाठ्यक्रम को आवश्यक रूप से सभी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए।

- प्रत्येक HEI में, या तो स्वतंत्र या उद्योग प्रायोजित, incubation centres (PPP Model) स्थापित किये जाने चाहिए और जहाँ संसाधनों की कमी है वहां सुविधाओं को पूल किया जा सकता है।
- पीजी कार्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को व्यावसायिक विचार और स्टार्टअप के विकास (business idea and startups) के लिए समर्पित होना चाहिए।
- यूपी सरकार पहले से ही HEI में Entrepreneurship cells को अनुदान प्रदान कर रही है।
- Business idea competitions ने विश्वविद्यालयों में पहले से ही छात्रों के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया है।

नयी शिक्षा नीति 2020 संकायों के री–स्किलिंग की योजना से सम्बन्धित S.A.Qs.

डॉ0 अपर्णा मिश्रा
प्राचार्य
डॉ0 भीमराव आम्बेडकर राजकीय
महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर

प्रश्न संख्या 1. संकाय सदस्यों की री–स्किलिंग से क्या तात्पर्य है।

उत्तर. संकाय सदस्यों की री–स्किलिंग से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं उनके अनुरूप संकाय सदस्यों को नवोन्मेष का प्रशिक्षण दिया जाए। संकाय सदस्यों को परंपरागत टीचिंग के स्थान पर नवीन शिक्षण कौशल का विकास करने की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या 2. संकाय सदस्यों को नवीन शिक्षण कौशल के अंतर्गत क्या परिवर्तन लाना होगा?

उत्तर. नवीन शिक्षण कौशल के अंतर्गत संकाय सदस्यों की भूमिका में बड़ा बदलाव आएगा।

1- क्लासरूम टीचिंग परंपरागत शिक्षण पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन नवीन शिक्षण कौशल में संकाय सदस्यों का कार्य

क्षेत्र विस्तृत हो गया है। उन्हें अपने विषय से संबंधित सूचना का ज्ञान देने के साथ.साथ व्यावहारिक ज्ञान भी देना होगा।

2- तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान के साथ–साथ नवोन्मेष पर भी जोर दिया जाता था। उसी प्राचीन परंपरागत शिक्षण पद्धति की तर्ज पर प्राध्यापकगण को परिसर के बाहर गांव/शहरों की समस्याओं से निपटने के लिए छात्र–छात्राओं का आह्वान करना होगा।

3- शिक्षण व्यवस्था में नई नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग हेतु प्राध्यापकों को स्वयं भी प्रशिक्षण लेना होगा और छात्र–छात्राओं को भी प्रशिक्षित करना होगा।

4- इंडस्ट्री एकैडमिया लिंकेज को प्रोत्साहित करना होगा।

5- खेल–विधि, प्रदर्शन–विधि, प्रोजेक्ट–विधि, केस स्टडी–विधि आदि का प्रयोग करना होगा।

प्रश्न संख्या 3. संकाय सदस्य इंडस्ट्री को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे?

उत्तर. संकाय सदस्यों को अपने आसपास के क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के अनुरूप विषयों को छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए शहर या गांव के उद्योगों से संपर्क करके उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में आमंत्रित

करना होगा जिससे वे बच्चों को उद्यमिता का महत्व, कौशल विकास का महत्व बता सकें। महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कोर कोर्स को मेजर विषय के रूप में और कौशल विकास आधारित कोर्स को माइनर विषय के रूप में पढ़ाना होगा।

प्रश्न संख्या 4. संकाय सदस्यों की गुणवत्ता परखने के लिए क्या मानक होगा?

उत्तर 1. भर्ती में पारदर्शिता। **2.** शिक्षण अनुसंधान आदि में समसामयिकता। **3.** गुणवत्ता वृद्धि करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करना जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम आदि। **4.** स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरूकता। **5.** विद्यार्थी की प्रगति एवम् उपलब्धि। विद्यार्थी का फीडबैक। **6.** सहयोगियों का फीडबैक। 7. ई–लर्निंग का शिक्षा में प्रयोग।

प्रश्न संख्या 5. अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की क्या व्यवस्था होगी।

उत्तर. अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को फास्टट्रैक पदोन्नति प्रणाली की व्यवस्था द्वारा प्रोन्नत किया जाएगा तथा **प्रोबेशन** अवधि 2 वर्ष करने की व्यवस्था है। 2 वर्ष निरीक्षण करने के उपरांत ही संकाय सदस्यों का

स्थायीकरण किया जाएगा। कार्यकाल प्रणाली ही गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए शिक्षकों को बाध्य करेगी।

प्रश्न संख्या 6. क्या स्थानांतरण ना होने से फैकल्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

उत्तर. इस आधार पर तो अर्ध शासकीय महाविद्यालय पूर्णतया गुणवत्ता पूर्ण होने चाहिए। स्थानांतरण को यदि विश्वविद्यालयों द्वारा शोध में अनहर्ता का आधार न बनाया जाय तो स्थानान्तरण गुणवत्ता को कभी प्रभावित नहीं करेगा।

प्रश्न संख्या 7. महाविद्यालय फैकल्टी और एक विश्वविद्यालय फ़ैकल्टी के अंतर को कैसे समाप्त किया जाएगा।

उत्तर. महाविद्यालयों की गुणवत्ता में वृद्धि करके उन्हें स्वायत्तता का दर्जा दिया जाएगा। धीरे-धीरे विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त होती जाएगी। शोध सुविधाओं से महाविद्यालयों को भी संपन्न किया जाएगा। स्वायत्त महाविद्यालय भी विश्वविद्यालयों की भांति गुणवत्तापूर्ण होंगे। इस प्रकार यह अंतर स्वत: समाप्त हो जाएगा ।

प्रश्न संख्या 8. सामुदायिक विकास से संबंधित कार्य कौन–कौन से हैं। एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर का प्रभार तो एक-एक ही प्राध्यापक को दिया जाता है। फिर सारे प्राध्यापकों द्वारा यह कार्य कैसे संपन्न होगा।

उत्तर. सामुदायिक विकास से संबंधित कार्य प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करने से संबंधित होते हैं। यह कार्य है जैसे– वृद्ध आश्रमों, अनाथालय, कारागारों में आवश्यक सेवा पहुंचाना। जरूरतमंद व्यक्तियों, परिवारों की सेवा, निशुल्क शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि। यह कार्य केवल एनएसएस व एनसीसी द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि हर प्राध्यापक को अपने विद्यार्थियों को लेकर जाना चाहिए। इसके लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का बैनर ही पर्याप्त है। कोविड 19 के लॉक डाउन के दौरान समस्त प्राध्यापक और छात्र-छात्राओं ने मिलकर आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष सुरक्षा कवच को डाउनलोड करने के लिए जनता जागरूकता अभियान में भाग लिया। इसमें केवल NSS, NCC, ROVER RANGER के द्वारा ही कार्य नहीं किया गया बल्कि सभी की सहभागिता एवं सहयोग से यह कार्य पूरा हुआ।

प्रश्न संख्या 9. टीचिंग और मेंटरिंग में क्या अंतर है।

उत्तर. टीचर विषय से संबंधित ज्ञान पर फोकस करता है। अधिक से अधिक विषय से संबंधित कैरियर का मार्गदर्शन करता है। जबकि मेंटर का कार्य

विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। यह आवश्यक नहीं कि किसी विद्यार्थी का मेंटर उसके विषय से संबंधित प्राध्यापक ही हो। किसी भी प्राध्यापक को कोई भी विद्यार्थी मेंटर चुन सकता है।

प्रश्न संख्या 10. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में मेंटरिंग के लिये औपचारिक रूप से संगठित कौन–कौन से प्रकोष्ठ हैं?

उत्तर. मेंटरिंग/कंसलटेंसी संकाय सदस्यों का महत्वपूर्ण कार्य है। कक्षा के बाहर विद्यार्थी अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये ऐसे किसी भी संकाय सदस्य से परामर्श ले सकते हैं जिनपर उनको विश्वास हो किन्तु कतिपय प्रकोष्ठ भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये विशिष्ट क्षेत्रों में परामर्श देने के लिये गठित किये जाते हैं–

1– स्टूडेन्ट मेंटरिंग प्रकोष्ठ।

2– स्ट्रेस रिलीफ प्रकोष्ठ।

3– महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ।

4– स्टूडेन्ट वेलफेयर कमेटी।

5– इम्प्लॉयमेन्ट एण्ड कॅरियर काउन्सिलिंग कमेटी।

6– लीगल एड कमेटी।

7– एंटी रैगिंग कमेटी।

प्रश्न संख्या 11. क्या विद्यार्थी द्वारा प्राध्यापक का फीडबैक लिया जाना उचित होगा? इससे अनुशासन की समस्या उच्च्तर शिक्षण संस्थानों में उत्पन्न नहीं होगी?

उत्तर. विद्यार्थी ही संकाय सदस्यों का आईना है। इन विद्यार्थियों के समग्र विकास का प्रयास संकाय सदस्यों द्वारा किया जायेगा उनके अन्दर इतना संस्कार तो अवश्य आयगा कि वे अपने मेंटर/टीचर का सही–सही फीडबैक दें। विद्यार्थी से अच्छा फीडबैक कोई नहीं दे सकता। प्रायः इस बात की आसंका की जाती है कि यदि विद्यार्थी को यह मालूम हो जायेगा कि टीचर के बारे में उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर ही टीचर की प्रोन्नति निर्भर है तो वे टीचर को ब्लैकमेल कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि फीडबैक लेते समय इस बात का ध्यान दिया जाये कि विद्यार्थी को बिल्कुल ज्ञान न हो कि उससे किसी प्राध्यापक विशेष का फीडबैक लिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या 12. महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संकायों की भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण मानदण्ड क्या होना चाहिये।

उत्तर. संकाय सदस्यों की भर्ती का मानदण्ड शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त उनका शिक्षण कौशल एवं उच्चारण तथा आवाज भी होना चाहिये।

प्रश्न संख्या 13. फास्ट ट्रैक प्रमोशन के हेतु उत्कृष्णता निर्धारित करने का मानदण्ड क्या होना चाहिये।

उत्तर. टीचर की अनुसंधानात्मक उपलब्धियाँ, विभिन्न प्रकोष्ठों/कमेटियों में कार्य के प्रति तत्परता, अनुशासन, सहयोगियों से सम्बन्ध, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की क्षमता, संस्था के प्रति समर्पण का भाव, विद्यार्थियों

के बीच ख्याति, विषयगत ज्ञान का स्तर, शिक्षण कार्य में नवाचार, विद्यार्थियों के नवोन्मेष के लिये किये गये प्रयास आदि शामिल है।

———————

अनुसंधान, उद्यमिता एवं नवाचार
(FAQ)

पेपर प्रस्तुतीकरण– प्रो0 पूनम टण्डन, डॉ0 अंशू यादव, डॉ0 अर्पणा मिश्रा, डॉ0 दिनेश शर्मा

प्रश्न 1 – शोध कार्यों में वित्तीय निवेश की क्या भूमिका है ?

उत्तर 1 – वर्तमान में शोध एवं नवाचार में भारत का निवेश जी0डी0पी0 का मात्र 0. 69 प्रतिशत है जबकि अमेरिका में 2.8 प्रतिशत, इज़राइल में 4.3 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 4.2 प्रतिशत है। विश्व के शोध में अग्रणी देशों की भॉति भारत में भी जी0डी0पी0 का शोध में निवेश का प्रतिशत उच्चतम करना चाहिए।

प्रश्न 2 – शोध को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है ?

उत्तर 2 – शोधपरक गतिविधियों के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि स्नातक स्तर से ही पाठ्यक्रम में शोध एवं इंटर्नशिप का समावेश किया जाना चाहिए। स्नातक स्तर पर अंतिम तृतीय/चतुर्थ वर्ष में और स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय वर्ष में 'लघु शोध प्रबन्ध' कराया जाना चाहिए ।

प्रश्न 3 – शोध छात्रों का चयन कैसे किया जाना चाहिए ?

उत्तर 3 – शोध छात्र प्रवेश हेतु एन0टी0ए0 की सहायता से राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा करायी जाय।

प्रश्न 4 – शोध में गहन रूचि रखने वाले मेधावी छात्रों के लिए क्या कार्य योजना है ?

उत्तर 4 – शोध में रूचि रखने वाले एवं विश्लेषणात्मक क्षमतायुक्त स्नातकों को उनकी रूचि के विषय में **'रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज'** को **'इंटीग्रेटड पी0एच0डी0'** कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रोग्राम दोहरी डिग्री देगा –

स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0। शैक्षिणिक लचीलेपन पर आधारित इस शोध प्रोग्राम द्वारा विद्यार्थियों को संस्थागत स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की अपेक्षा एकेडेमिक चयन हेतु अधिक व्यापक क्षेत्र उपलब्ध होगा तथा वे अनुसंधान के विशिष्ट अत्याधुनिक क्षेत्रों में शोध करने हेतु प्रेरित होंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य गहन प्रशिक्षण प्राप्त, प्रेरित तथा शोध हेतु आवश्यक वैज्ञानिक समझ से युक्त नवयुवकों को प्राथमिक अवस्था में ही वैश्विक, समसामयिक, शोध में संलग्न करना तथा शोध एवं विकास को कॅरियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। **'इंटेग्रेटेड पी0एच0डी0'** प्रोग्राम में अध्यनरत छात्रों के पास स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्ति के उपरान्त इंटेग्रेटेड प्रोग्राम से बाहर निकलने का भी विकल्प होगा।

प्रश्न 5 – प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रभावी सहभागिता के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तर 5 – उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रभावकारी सहभागिता हेतु आधारभूत शोध–सुविधाओं तथा शोधकर्ताओं की विशेज्ञता सम्बन्धित जानकारी राज्य स्तरीय ई–शोध–पोर्टल पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

प्रश्न 6 – अंतर्राष्ट्रीय अनुसन्धान सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तर 6 – उच्च शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थी कार्यालय स्थापित करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकाय सदस्यों एवं शोधार्थियों का पारस्परिक आदान प्रदान हो सके। यह कार्यालय उच्च गुणवत्तायुक्त विदेशी शिक्षण संस्थानों से एम0ओ0यू0 करने में सहायता करेगा जिससे पारस्परिक आवागमन/वैचारिक आदान–प्रदान करके आधुनिकतम प्रासंगिक समस्याओं पर शोध किया जा सकेगा।

प्रश्न 7 – छात्रों को शोध में प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तर 7 – केन्द्रीय विश्वविद्यालय और शोध प्रयोगशालाओं में पी0एच0डी0 कार्य करने वाले शोधार्थियों को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी

प्रकार की छात्रवृत्ति राज्य स्तर पर भी मेधावी पी0एच0डी0 छात्रों को दी जानी चाहिए। इसके लिये सरकार प्रत्येक विषय में राज्य स्तरीय शैक्षिक परीक्षा करवा सकता है और उसमें चयनित प्रत्येक विषय के 100 – 100 विद्यार्थियां को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। महिला मेधावी शोधार्थियों के ड्रॉपआउट रेट को कम करने के लिए नेट/गेट परीक्षा पास किये हुए महिला शोधार्थियों को 'मेधा शोध छात्रवृत्ति' दी जानी चाहिए।

प्रश्न 8 – उच्च शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर शोधार्थियों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं ?

उत्तर 8– उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए **'शोध प्रमोशन स्कीम'** के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों एवं शोधार्थियों को **'रिसर्च अवार्ड', 'उत्कृष्ट शोध पेपर अवार्ड'** आदि देकर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। शोधार्थियों/संकाय सदस्यों की शोध उपलब्धियों को उच्च शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट पर प्रचारित किया जाना चाहिए।

प्रश्न 9 – शोध को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की क्या भूमिका हो ?

उत्तर 9 – राज्य स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध निगरानी एवं सहायता हेतु 'स्टेट रिसर्च फ़ाउन्डेशन' की स्थापना की जाय। **'स्टेट रिसर्च फ़ाउन्डेशन'** शोध और शिक्षण दोनों को समान महत्व देने वाले रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज को चिन्हित करेगा और उन्हें शोध के नवीन क्षेत्रों के लिए **'सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस'** हेतु वित्तीय सहायता देगा। **'H** इंडेक्स' तथा **'i**10 इंडेक्स' जैसे अंतराष्ट्रीय मानकों के आधार पर **'रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज'** को चिन्हित किया जाना चाहिए। **'रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज'** में **'सेंट्रल इंस्ट्रूमेण्टल फेसिलिटी'** की स्थापना हेतु **'स्टेट रिसर्च फ़ाउन्डेशन'** सहायता करेगी जिसका उपयोग प्रदेश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के शोधार्थी एवं शिक्षक भी कर सकेंगे।

प्रश्न 10 – शोध में उद्यमता तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तर 10 – उच्च शिक्षण संस्थानों को **'स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर'** तथा **'टेक्नॉलॉजी डेवलपमेंट सेंटर'** की स्थापना करके शोध एवं नवाचार पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में **'ग्रास रूट इनोवेशन सेन्टर'** स्थापित करना चाहिए। इसका मुख्य लक्ष्य बारहवीं के बाद आने वाले विद्यार्थियों के विचारों की साध्यता एवं व्यवहारिकता को चिन्हित करके तथा उन्हें सही दिशा निर्देश देकर अन्वेषण की ओर मोड़ना होगा। उनके पास विचार और जिज्ञासा तथा प्रश्न तो होते हैं किन्तु वे उन्हें सही ढंग से प्रक्षेपित नहीं पाते। सारे उच्च शिक्षण संस्थानों को **'राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप पॉलिसी 2019'** से शोधार्थियों एवं संकाय सदस्यों के लिए लागू करना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए जो उद्यमिता और नवाचार से सम्बन्धित हों।

बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न

Frequently Asked Questions (FAQ)

Questions framed by- Dr. R. P. Yadav, Answers by- Prof. Hare Krishna

Group One- Structure of UG/PG Programme…… etc.

1. सर, मैने Phy, Chem, Maths, Hindi, English विषयों के साथ 12^{th} किया है। Maths, Phy कमजोर है स्नातक/B.Sc. में कौन से मेजर कौन से माईनर विषय मुझे मिल सकते हैं।

उत्तर : आप B.Sc. में Chem व एक अन्य Science का विषय जैसे (Computer Sc.) मेजर के रूप में ले सकते है तथा तीसरा मेजर विषय किसी भी संकाय का (जैसे इतिहास) ले सकते हैं। किन्तु आपको इसका ध्यान रखना होगा कि तीनों विषयो में pre-requisit की बाध्यता के अनुसार आप अर्ह हैं अथवा नहीं।

2. क्या 2^{nd} , 3^{rd} year में मेजर/माईनर में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं।

उत्तर : हाँ आप परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु अगले वर्षो में भी आपको विषयो का चयन pre-requisit की बाध्यता के अनुसार ही करना होगा।

3. स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष के पश्चात पर जो सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त होगा वह किस जौब के लिए मान्य होगा।

उत्तर : इस सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के आधार पर आप उन क्षेत्रों में नौकरी पा सकते है जिनमें आपने Vocational व अन्य skill development course किये है।

4. वोकेशनल कोर्स ओर कोकरिकुलर कोर्स में कितने अनिवार्य होंगे।

उत्तर : वोकेशनल कोर्स किसी एक विधा (Trade) में आपके द्वारा चुना जायेगा व co-curricular course प्रत्येक Semester में एक अनिवार्य होगा। एक वर्ष में दो, दो वर्ष में चार इत्यादि।

5. Phy, Chem के प्रायोगिक के अतिरिक्त गैर प्रायोगिक विषयों में क्या मौखिकी परीक्षा होगी यदि हां तो उसके कितने क्रेडिट होंगे।

उत्तर : यह विश्वविद्यलाय पर निर्भर करता है। किन्तु साधारणतया Phy, Chem की प्रोयोगिक परीक्षा में ही मौखिकी सम्मिलित होती है। मेजर कोर्स स्नातक स्तर पर कुल तीन क्रेडिट का होगा।

6. क्या ऑनलाईन पाठ्यक्रम अलग से निर्धारित होगा या संस्था स्वयं निर्धारित करेगी।

उत्तर : ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा जिनमें से विद्यार्थी अपनी रूचि अनुसार चयन करेगा। यह विकल्प बाह्य संस्थाओं जैसे MOOCS व SWAYAM के भी होंगे।

7. क्या एक सरकारी संस्था में प्रवेश के उपरांत किसी प्राइवेट/अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में ट्रांसफर सम्भव है, यदि हाँ, तो क्या फीस का कोई अन्तर होगा और कितना?

उत्तर : ट्रांसफर तो सम्भव है किन्तु फीस के अन्तर का जो भी भार होगा वह विद्यार्थी को वहन करना होगा।

8. क्रेडिट क्या है, एक क्रेडिट और एक अंक में क्या सम्बन्ध है।

उत्तर : क्रेडिट किसी पेपर/कोर्स/पाठ्यक्रम का भारांक है। एक क्रेडिट 25 अंक का होगा, तथा सप्ताह में एक घण्टा theory अथवा दो घण्टा Practical class के बराबर होगा। उदाहरण : 3 क्रेडिट का कोर्स 75 अधिकतम अंक का होगा तथा उसकी 3 घण्टे प्रति सप्ताह कक्षाऐं होगी।

9. क्या अलग–अलग पेपर/विषय में कुछ न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने होंगे या कुल योग के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

उत्तर : साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्षोपरान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिपलोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। ऐसे ही आगे के वर्षो के लिए तालिका में निर्धारण दिया हुआ है।

10. यदि किसी विषय में क्रेडिट कम रह जाते हैं तो कैसे पूरे होंगे। क्या कम्पार्टमेन्ट मिलेगा?

उत्तर : हाँ विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर/कम्पार्टमेन्ट की व्यवथा अवश्य ही होगी।

11. करिकुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स क्या है क्या इन्हें पास करना अनिवार्य है यदि हाँ तो कितने कोर्स पास करने होंगे।

उत्तर : वोकेशनल कोर्स किसी एक विधा (Trade) में तथा अन्य अनिवार्य करिकुलर कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होंगे। किन्तु, वर्ष के अन्त में उपाधि हेतु कुछ क्रेडिट की छूट होगी।

12. किन–किन विषयों में फील्ड वर्क/सर्वे वर्क पूरा करना होगा और इसके क्रेडिट किस प्रकार दिए जाएंगे क्या यह भी अनिवार्य होगा।

उत्तर : उच्च शिक्षा के तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्षो में उपाधि की आवश्यकतानुसार फील्ड वर्क/सर्वे वर्क/शोध कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। इसके लिए तृतीय वर्ष में तीन क्रेडिट प्रति सेमेस्टर व चतुर्थ व पंचम वर्ष में छः क्रेडिट प्रति सेमेस्टर निर्धारित हैं।

13. बी0–एससी0 के बाद मैं शोध कार्य करना चाहता हूँ इसके लिए मुझे कौन–सा अतिरिक्त पेपर चुनना होगा और स्नातक के किस वर्ष से मैं यह अध्ययन प्रारंभ कर सकता हूँ।

उत्तर : स्नातक के तृतीय वर्ष में शोध प्रारम्भ हो जायेगा। किन्तु स्नातक की चार वर्ष की उपाधि के बाद ही पीएच0डी0 में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

14. क्या इसी शोध के आधार पर मुझे सीधे पीएच0–डी0 में एडमिशन मिल सकता है यदि हाँ तो कृप्या स्पष्ट करें।

उत्तर : पीएच0डी0 में प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगा। आपने जो स्नातक स्तर पर शोध किया है, आप उसे स्नातकोत्तर व पीएच0डी0 में भी आगे बढ़ा सकते हैं।

15. क्या पीएच0–डी0 में प्रवेश के लिए कोई राष्ट्र स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और क्या शोध अवधि में मुझे कोई छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

उत्तर : पीएच0डी प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, सीधे प्रवेश दे सकता है। पीएच0डी0 में छात्रवृतियाँ विश्वविद्यालय व अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थायें सदा से ही देती आ रही है तथा भविष्य में जारी रहेगी।

16. शोधार्थी या सुपरवाइजर के विश्वविद्यालय परिवर्तन होने से शोध कार्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा यदि नहीं तो शोध कार्य कैसे पूरा होगा।

उत्तर : पीएच0डी0 कोर्स वर्क के क्रेडिट ट्रांसफर हो जायेंगे तथा शोध कार्य भी दोनो विश्वविद्यालयों के नियमानुसार साथ ले जाया जा सकेगा।

17. स्नातक और स्नातकोत्तर के समान पीएच0–डी0 के कार्य में भी क्या क्रेडिट सिस्टम लागू होगा यदि हाँ तो किस प्रकार?

उत्तर : पीएच0डी0 में केवल कोर्स वर्क में ही क्रेडिट सिस्टम लागू होगा, शोध कार्य में नहीं।

18. क्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थान में स्थानांतरण से स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या डिग्री पूरी की जा सकती है।

उत्तर : हाँ अवश्य ही की जा सकती है। विद्यार्थी के एक विश्वविद्यालय से अर्जित किये गये क्रेडिट अकादमिक डेटा बैंक के माध्यम से दूसरे विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किये जा सकेंगे।

19. क्या विद्यार्थी को वह (माइनर) कोर्स भी उत्तीर्ण करने होंगे जो उसने दूसरे विषय के विभाग में लिए हैं।

उत्तर : हाँ। वर्ष के अन्त में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल व को–करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर आधारित होगा। सभी प्रकार के कोर्सस को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्सस में अर्जित ग्रेडस पर निर्भर करेगा।

20. यदि विद्यार्थी किसी वैकल्पिक माइनर में अनुत्तीर्ण हो जाता है व अपनी रूचि के अनुरूप नहीं पाता है तो क्या वह अगले वर्ष उसे बदल कर कोई और माइनर ले सकता है।

उत्तर : हाँ अवश्य ले सकता है।

21. क्या स्नातक कार्यक्रम चार वर्ष व स्नातकोत्तर कार्यक्रम एक वर्ष के होंगे।

उत्तर : (a) स्नातक कार्यक्रम की तीन वर्ष उत्तीर्ण होने पर स्नातक की उपाधि मिलेगी जिसके पश्चात दो वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम करना होगा।

(b) स्नातक कार्यक्रम के यदि चार वर्ष उत्तीर्ण किये हैं तो स्नातक (शोध) की उपाधि मिलेगी तथा इसके बाद केवल एक वर्ष में स्नातकोत्तर उपाधि मिल जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समतामूलक और समावेशी शिक्षाः विशेष बच्चो के लिए विशेष प्रयास (Equity and Inclusion: Special Efforts for Special Children) से सम्बन्धित F.A.Qs.

प्रो0 बीरपाल सिंह,
विभागाध्यक्ष
भौतिक विज्ञान विभाग,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

ई0मेल0– drbeerpal@gmail.com
मो0न0– 9358478150

डा0 के0ए0 पाण्डे
एसोसिऐट प्रोफेसर
डा0 राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिर्वसिटी लखनऊ

ई0मेल0–kskandnujs@gmail.com
मो0न0–09919493369

प्रश्न संख्या 1. समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा से क्या तात्तपर्य है।

उत्तर. शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन हैं समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ती के अवसर मिलने चाहिए।

प्रश्न संख्या 2. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) से क्या तात्पर्य है। इनको कैसे वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

उत्तर. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित इन समूहो, लिंग विशेष रूप से महिला एवं ट्रांस जेन्डर व्यक्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान जैसेः अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, भौगोलिक पहचान जैसेः गॉव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता (सीखने से सम्बन्धित अक्षमता सहित) और सामाजिक–आर्थिक स्थिति (जैस कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल–तस्करी के शिकार बच्चे या बाल–तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं) के अधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है

प्रश्न संख्या 3. विशेष आवश्कताओं वाले बच्चो (सीडब्लूएसएनः चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड) या दिव्यांग बच्चो की सन् 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर–प्रदेश में की क्या स्थिति हैं।

उत्तर. सन् 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर–प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या 4157514 (इकतालीस लाख सत्तावन हजार पॉच चौहद) है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 3166615 (इकत्तीस लख छियासठ हजार छः सौ पंद्रह) (कुल दिव्यंगाजनो का 75 प्रतिशत) तथा शहरी क्षेत्र में 990899 (नौ लख नब्बे हजार आठ सौ निन्यानबे) (कुल दिव्यांगजनों का 25 प्रतिशत) हैं। दिव्यंगागजनों में पुरूष एव महिला की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः पुरूषः 2364171 (तेईस लाख चौसठ हजार एक सौ इकहत्तर), स्त्रीः 1793343 (सत्रह लाख तिरानबे हजार तीन सौ तेंतालीस) हैं।

प्रश्न संख्या 4. दिव्यांगजन बच्चो को अन्य बच्चो के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने के लिए क्या प्रयास कराने होगे।

उत्तर. दिव्यांगजन बच्चो को अन्य बच्चो के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने के लिए सक्षम तंत्र (सरकारी एवं गैर सरकारी) की स्थापना सुनश्चित करनी होगी।

प्रश्न संख्या 5. उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ''दिव्यांगजन सशस्कतीकरण विभाग,'' की स्थापना के मूल उद्देश्य क्या है। इस विभाग द्वारा उच्चतर समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित कौन–कौन से शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं।

उत्तर. उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ''दिव्यांगजन सशस्कतीकरण विभाग,'' की स्थापना के मूल उद्देश्य दिव्यांगजन के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनश्चित करना, योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना हैं। दिव्यांगजन विकास के सम्बन्ध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों संस्थाओं, के साथ समन्वयक कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनश्चित करना तथा दिव्यांगजनों के विकास सम्बन्धी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ–साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है।

प्रश्न संख्या 6. दिव्यांगजन हेतु उच्च शिक्षा एवं पुर्नवास को सुनश्चित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षण संस्थानों को मुख्य रूप से क्या सुझाव प्रस्तावित हैं।

उत्तर. दिव्यांगजन हेतु उच्च शिक्षा एवं पुर्नवास को सुनश्चित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सम्बन्धित इमारतें और इन्य बुनियादी सुविधायें व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकुल हो।

प्रश्न संख्या 7. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) छात्र–छात्राओ के लिए उपलब्ध छात्रवृति, अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग सुनश्चित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए।

उत्तर. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) छात्र–छात्राओ के लिए उपलब्ध छात्रवृति, अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग सुनश्चित करने एवं समता को बढ़ाने के लिए प्रश्न में वर्णित सभी योजनाओं को सुगम और सरलीकृत तरीके से स्थापित करना होगा, साथ ही आवेदन हेतु किसी ऐसी एकल एंजेसी या वेबसाईट को स्थापित कर सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ सुनश्चित करना होगा।

प्रश्न संख्या 8. विशिष्ट दिव्यांगाता वाले बच्चो (सीखने सम्बन्धित अक्षमताओं के साथ) को कैसे पढ़ाया जायें।

उत्तर. विशिष्ट दिव्यांगाता वाले बच्चो (सीखने सम्बन्धित अक्षमताओं के साथ) को पढ़ाने के लिए सम्बन्धित शिक्षको को प्रशिक्षित किया जाये। साथ ही कक्षा में शिक्षको व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यताओं वाले बच्चों को उपर्युक्त तकनीकी से लेस आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने होगें।

प्रश्न संख्या 9. दिव्यांगजन से सम्बन्धित आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 क्या है। इस अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चो को किस तरह समावेशी शिक्षा प्रदान करना सुनश्चित किया गया हैं।

उत्तर. आरपीडबल्यूडी अधिनियक 2016 के अनुसार, मूल दिव्यांगता वाले के पाय नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। RPWD ACT 2016 के अध्याय III में शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान हें जो यद्यपि "बालक" शब्द का प्रयोग करते है, परन्तु इन प्रावधानों का विस्तार उच्च शिक्षा तक होता है।

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी यह प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्त पोषित या संचालित/मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थान दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षण प्रदान करें एवं इस हेतु यह सुनिश्चित करेंगे कि:

(i) उन्हे बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करते हैं ओर खेल शिक्षा तथा मनोरंजन गतिविधियों के लिए दूसरों के साथ समान रूप से अवसर प्रदान करते हैं
(ii) भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाते हैं;
(iii) व्यक्ति की आवश्यताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करते हैं;
(iv) व्यक्तिगत या अन्यथा, अधिकतम रूप से ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, जो पूण्र समावेश के लक्ष्य के सुसंगत सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा;
(v) यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग ऑख या कान या दोनों की दिव्यांगता वाले हैं उन्हें सार्वधिक उपयुक्त भाषा, माध्यम और तरीकों से शिक्षा दी जाये;
(vi) बिना विलम्ब के जल्द से जल्द बच्चों में सीखने की अख्मताओं का पता लगाएंगे ओर उपयुक्त शैक्षणिक उपकरणों (pedagogical tools) की सहायता से उन्हें दूर करने के उपाय करेंगे;
(vii) शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी, शिक्षा प्राप्ति के स्तर, शिक्षा के पूरा होने के संदर्भ में प्रत्येक छात्र की सतत निगरानी करेगें;
(viii) दिव्यांग बच्चों और साथ ही उच्च आवश्यकताओं वाले बच्चों के परिचारकों को परिवहन सुविधा प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त, RPWD ACT 2016 में यह भी प्रावधान हैं कि:

32 उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण – (1) सभी सरकारी उच्चतर शिक्षण संस्थान ओर सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्च शिक्षा संस्थान बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच फीसदी सीटें आरक्षित करेंगे।

(2) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी।"

प्रश्न संख्या 10. परख (PARKH) क्या हैं।

उत्तर. परख एक प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र हैं, जो बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं सहित) के स्तर तक मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी। जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्रो के लिए समान पहुँच और अवसरो को सुनश्चित किया जा सकें। **PARKH** का तात्पर्य हैः **Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development.**

प्रो0 शशि देवी सिंह
संकायाध्यक्ष

मानविकी संकाय
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी–221002

पत्रांक / **Ref. :** मा0सं0का0 / / 2020

दिनांक / **Date: 09.10.2020**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

Topic: Phasing Out of M.Phil. Programme
शीर्षकः एम0फिल0 पाठ्यक्रम का चरणबद्ध समापन

अक्सर : पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ0अ0क्यूस0)
Frequently Asked Question (FAQs)

प्रश्न 1 **एम0फिल0 पाठ्यक्रम क्या है?**

उत्तर यह पी–एच0डी0 पूर्व एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो शोध हेतु अनिवार्यतः शोध प्रविधि के प्रशिक्षण के लिए लघु–शोध प्रबन्ध से युक्त परास्नातक एवं पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के बीच सेतु के रूप में स्वीकृत है।

प्रश्न 2 **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 से एम0फिल0 पाठ्यक्रम को क्यों हटाया जा रहा है?**

उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संरचनात्मक परिवर्तन के पश्चात् एम0फिल0 पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि इसका सम्पूर्ण सिलेबस चार वर्षीय स्नातक एवं पूर्व पी–एच0डी0 (प्री पी–एच0डी0) कोर्स–वर्क के अन्तर्गत धारित कर लिया गया है। अतः इस पाठ्यक्रम हेतु पृथक समय एवं आर्थिक खर्च करना उचित नहीं प्रतीत होता।

प्रश्न 3 **एम0फिल0 पाठ्यक्रम को कब से हटाया गया/जा रहा है?**

उत्तर एम0फिल0 पाठ्यक्रम अभी तक की प्रस्तावित योजना के अनुसार नवम्बर, 2020 से हटा दिया जायेगा। एम0फिल0 में नये सत्र मे प्रवेश नही किया जायेगा।

प्रो0 शशि देवी सिंह
संकायाध्यक्ष

मानविकी संकाय
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी–221002

प्रश्न 4 **एम0फिल0 पाठ्यक्रम हेतु पूर्व सत्र में पंजीकृत एवं अनुत्तीर्ण हो गये विद्यार्थियों के लिये एम0फिल0 पाठ्यक्रम बन्द हो जाने पर वर्तमान में उनके लिये क्या व्यवस्था होगी?**

उत्तर जो विद्यार्थी पंजीकृत हैं और किन्ही कारण से अनुत्तीर्ण हो गये या पूरा नहीं कर सके हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिये पुर्नपरीक्षा की व्यवस्था आगामी एक वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जाय ताकि वे एम0फिल0 परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें।

प्रश्न 5 **क्या एम0फिल0 पाठ्यक्रम समापन के पश्चात् अकादि्मक करियर में उनकी डिग्री की उपादेय नहीं रह जायेगी?**

उत्तर नहीं। यह सर्वथा अनुचित होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी कर इसे जो अकादि्मक महत्व/प्वांइट अथवा ए0पी0आई0 पहले प्रदान किया जाता रहा है, उसे एक समय सीमा तक (यथा 2025 या 2030 तक) अथवा सार्वकालिक रूप से चलते रहने देना चाहिए। नये पाठ्यक्रम आ जाने से पुरानी डिग्री सर्वथा औचित्यहीन न हो जाय इसका भी ध्यान रखा जाना यथोचित है एवं वांछनीय है।

प्रश्न 6 **क्या एम0फिल0 पाठ्यक्रम एक अनिवार्य एवं व्यापक शोध–प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त डिग्री के रूप में स्वीकृत था?**

उत्तर नहीं। यह पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में अध्यापक चयन हेतु एवं अध्यापकों में शोध अभिरूचि/आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति ही कर पा रहा था/एक व्यापक शोध हेतु पी–एच0डी0 की डिग्री ही सर्वथा उचित है।

SDsingh

प्रो0(शशि देवी सिंह)